न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 230 / 2016

मनीराम पुत्र टिकुराम जाति नायक निवासी दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर । —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।
2. बृजलाल
3. भीमसैन — पिसरान नारायणराम
4. रामलाल
5. राजकुमार

जाति नायक निवासी दुल्लापुर केरी तह. व जिला श्रीगंगानगर।

6. जगदीश पुत्र नानूराम
7. मोहनलाल पुत्र नानूराम
8. धर्मपाल पुत्र बख्तूदेवी पत्नी पूर्णराम
9. मामराज पुत्र बख्तूदेवी पत्नी पूर्णराम
10. श्यामा देवी पत्नी गोरधनराम पुत्र टिकुराम जाति नायक निवासी 18 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
11. जगन पुत्र गोरधनराम जाति नायक निवासी दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. शिवलाल
13. मनफूल
14. कृष्णा
15. सरबती

— पिसरान गोरधनराम जाति नायक निवासी 18 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

5/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

16. रवि पुत्र प्रेम पुत्र गोरधन जाति नायक निवासी दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

17. रामलाल पुत्र टिकुराम जाति नायक निवासी दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर –मृतक

17/1 आशारानी पत्नी रामलाल जाति नायक निवासी एजी हाईटस सी–46 मंगलम सिटी कालवाड़ रोड़ जयपुर।

17/2 हर्ष पुत्र रामलाल जाति नायक निवासी एजी हाईटस सी–46 मंगलम सिटी कालवाड़ रोड़ जयपुर।

17/3 ज्योति पुत्री रामलाल जाति नायक निवासी एजी हाईटस सी–46 मंगलम सिटी कालवाड़ रोड़ जयपुर।

17/4 पूनम पुत्री रामलाल जाति नायक निवासी एजी हाईटस सी–46 मंगलम सिटी कालवाड़ रोड़ जयपुर।

17/5 कोमल पुत्री रामलाल जाति नायक निवासी एजी हाईटस सी–46 मंगलम सिटी कालवाड़ रोड़ जयपुर।

18. ओमप्रकाश पुत्र टिकुराम जाति नायक निवासी दुल्लापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

19. बृजलाल पुत्र शांति पत्नी लालचंद पुत्री टिकुराम जाति नायक निवासी 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

20. पप्पू पुत्र शांति पत्नी लालचंद पुत्री टिकुराम जाति नायक निवासी 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

21. राजू पुत्र शांति पत्नी लालचंद पुत्री टिकुराम जाति नायक निवासी 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

22. कमलादेवी पुत्री शांति पत्नी लालचंद पुत्री टिकुराम जाति नायक निवासी 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

23. रानीदेवी पुत्री शांति पत्नी लालचंद पुत्री टिकुराम जाति नायक निवासी 2 एम फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

5/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

24. गीतादेवी उर्फ कमला	
25. हंसराज	पुत्र/पुत्री शांति पत्नी लालचन्द पुत्री टिकुराम
26. पवनकुमार	जाति नायक नि. दुल्लापुर केरी तह.व जिला श्रीगंगानगर।
27. पार्वती	पुत्रियां टिकुराम जाति नायक निवासी दुल्लापुर केरी
28. हस्तू बाई	तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
29. नैनीबाई	—रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 30.09.2012

उपस्थितिः–

श्री बलराम स्वामी अभिभाषक अपीलांट

श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ अभिभाषक रेस्पो. स0 10 से 29

श्री गुरचरणसिंह अभिभाषक रेस्पो संख्या 17/1 से 17/5

श्री इकबालसिंह, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 05.03.2018**

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जारी सनद कमांक 199 दिनांक 30.09.2012 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा चक 5 डी बड़ी के मु.नं. 1 के कि.न. 1 से 25 की 6.200है0 भूमि की सनद लिछमी, गोरधन, नानू, नारायण, बख्तू, रामलाल, ओमप्रकाश, मनीराम व सन्तोबाई के नाम से जारी की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि टिकुराम को बतौर शरणार्थी आवंटन की गई थी जिसकी किश्ते टिकुराम द्वारा जमा करवा दी थी। टिकुराम के वारिस अपीलांट व रेस्पो संख्या 10 से 29 है। रेस्पो. 2 से 9 पूर्वज नारायण, नानू, बख्तू अलोटी टिकूराम के भतीते व भतीजी

5/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

थे, जिनका इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। अधी.न्यायालय ने जो सनद जारी की है वह विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी है। जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते विवादित भूमि टिकूराम या उसके वारिसान के नाम से जारी करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि जो सनद जारी की है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 30.09.12 के विरूद्ध दिनांक 17.11.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा. पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानकर के निर्णय दिनांक 30.09.2012 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें पाक विस्थापित नान–कलेमेंट टीकूराम को आवंटित कृषि भूमि की सनद तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जारी की है जो गलत है जबकि जिला पुनर्वास अधिकारी के निर्णय दिनांक 31.01.1987 अनुसार जारी होनी चाहिए जो नहीं होने से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पाक विस्थापित टीकूराम को पुनर्वास हेतु डी.पी.सी.आर अधिनियम 1954 पठित डी.पी.सी.आर नियम 1955 के प्रावधानुसार बहैसियत नोन–कलेमेंट ग्राम 5 डी बड़ी में 24.10 बीघा भूमि आवंटित होकर आवंटी टीकूराम द्वारा निर्धारित प्रपत्र Annexure iii में

5/3/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भारत सरकार के साथ करार किया जो अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 52 के रूप में उपलब्ध है, इसी करार अनुसार आवंटित कृषि भूमि राजस्व रेकार्ड में अमल होकर सन्दर्भ 5 डी बडी की जमाबंदी 2065–2068 में दर्ज रेकार्ड राज है, जैसा कि डी.पी.सी.आर विधि अनुसार आवंटन परिवार के मुखिया के नाम होना निर्देशित होकर आवंटन के रकबे की गणना हेतु बेसिक रजिस्टर में दर्ज परिवार के सदस्यों की संख्या व नाम संदर्भित है। अतः किया गया आवंटन बेसिक रजिस्टर में दर्ज सदस्यों के नाम संयुक्त रूप से न होकर परिवार के मुखिया के नाम होना श्रृखलाबद्ध न्याय सिद्धान्तों में प्रतिपादित हुआ है, उनमें से आरआरडी 1992 पेज 611 मायादेवी वगैरा बनाम पठानासिंह व अन्य रिवीजन नं0 60/गंगानगर/1985 निर्णय दिनांक 31.03.1992 में माननीय राजस्व मंडल ने held किया है Displaced peasons (Compensation & Rehavilitation) Act, 1954, Section 8- Allottee of agricultural land is the person in whose name , the allotment is sanctioned . The fact that the allotment is made after taking into account the members of his family and the fact that the names of such members is mentioned in the allotment order not make the allotment as one in favour of all members of the family mentioned in the order. अधी.न्यायालय द्वारा बेसिक रजिस्टर में दर्ज सभी सदस्यों के नाम सनद जारी की गई है जबकि इस हेतु अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 16 पर उपलब्ध निर्णय दिनांक 31.01.1987 प्रासंगिक है जिसमें सनद हेतु वारिसान की घोषणा की गई है निर्णय का Text है कि न्यायालय श्री जेठमल व्यास जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर वाद संख्या 16 सन् 87 अलोटी टीकूराम पुत्र मघाराम 5डी बडी तहसील गंगानगर के वारिसो की घोषणा निर्णय दिनांक 31.01.1987, टीकूराम पुत्र मघाराम को चक 5 डी बडी तहसील श्रीगंगानगर में 24.10 बीघा भूमि आवंटन है। फार्म नं. 16 पर तहसील की रिपोर्ट अनुसार टीकूराम का स्वर्गवास हो गया है। टीकूराम के वारिसों की घोषणा हेतु घोषणा पत्र जारी किया गया। किसी ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अतः टीकूराम के निम्न ब0हिस्सा बराबर के वारिस घोषित किये जाते हैं:– लक्ष्मी पत्नी टीकूराम, गोरधनराम, रामलाल, ओमप्रकाश, मनीराम, प्रितरान

5/3/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

टीकूराम, सन्तो बाई पुत्री टीकूराम, नानूराम , नारायणाराम पिसरान पुनाराम। निर्णय आज दिनांक 31.01.87 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय प्रति पालनार्थ सम्बन्धित तहसीलदार व सनद सेल शाखा मय पत्रावली भेजी जावे। प्रतिलिपि तहसीलदार(राजस्व) गंगानगर, सनद शाखा को मय पत्रावली।

परन्तु इस आदेश के विपरीत अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.12 को निम्नलिखित वारिसों के नाम सनद जारी की है यथा (1) लिछमा (2) गोरधन (3) नानू (4) नारायण (5) बख्तू (6) रामलाल (7) ओमप्रकाश (8) मनीराम (9) सन्तोबाई जो खारिज योग्य है तथा राजस्व रिकार्ड में आवंटी टीकूराम के नाम विवादित आराजी दर्ज होने के पश्चात उस पर राज.काश्त. अधि. 1955 के प्रावधान लागू होगें तद्नुसार उसकी मृत्यु उपरांत इसी अधि. की धारा 40 के प्रावधान कृषि भूमि devolve योग्य है जिसकी Bare reading है कि अभिधारियों का उत्तराधिकार– कोई अभिधारी निर्वसीयत मर जाए तो उसकी जोत में का उसका हित उस स्वीय विधि अनुसार जिसके वह अपनी मृत्यु के समय अध्यधीन या न्यायगत होगा।

इसी विधिक प्रावधानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/3/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर